

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.4(7)नविवि/II/2019 पार्ट

जयपुर, दिनांक 24 SEP 2019

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित सहायक/अधिशाषी अभियंताओं का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :—

| क्र.सं. | कार्मिक का नाम | पद | कहाँ से | कहाँ को | विशेष विवरण |
|---------|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. | श्री संजीव शर्मा | अधिशाषी अभियंता | नगर सुधार न्यास, उदयपुर | नगर सुधार न्यास, आबू (सिरोही) | |

राज्यपाल की आज्ञा से,

मै

(कन्हैयालाल स्वामी)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
- निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, प्रथम, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
- सचिव, नगर सुधार न्यास, उदयपुर।
- सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू (सिरोही)।
- वरि. शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
- रक्षित पत्रावली।

मै

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम